

कार्यालय प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु, सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय
नव केन्द्रीय राजस्व भवन, स्टेच्यू सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर-302005
(सूचना का अधिकार शाखा)

फा. सं. V(Tech)RTI/22/2019/

सेवा में,

Ms. Punam Kumari,
480A, Jadhav Nagar,
Gali No. 3, Maharani Farm Durgapura,
Jaipur-302017

विषय: - सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत चाही सूचना के क्रम में।

महोदया,

कृपया आपका सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत किया आवेदन संयुक्त आयुक्त/के.लो.सू. अधिकारी, सीजीएसटी एवम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क(जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर द्वारा बिन्दु संख्या (2)(ii) का जवाब देने के लिए केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, सीजीएसटी व उत्पाद शुल्क, जयपुर (कार्यालय में प्राप्त दिनांक 25.03.2019) को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत स्थानांतरित किया गया था।

आपके आवेदन के संदर्भ में बिन्दु संख्या (2)(ii) का जवाब निम्न अनुसार है :-

बिन्दु संख्या (2)(ii):- इस कार्यालय में पदस्थापित श्री तिलक शर्मा, कनिष्ठ लिपिक को राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अति-उत्कृष्ट कार्य करने पर दी जाने वाली अतिरिक्त वेतन वृद्धि 7th Pay Commission के बाद लगातार दी जा रही है।

"यदि सूचना लेने वाले व्यक्ति को सूचना से असंतुष्टि है तो वह प्रथम अपीलीय प्राधिकरण, श्री बृज लाल मीना, संयुक्त आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु, सेवा कर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, नव राजस्व भवन, स्टेच्यू सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर - 302005 को इस निर्णय की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं।"


भवदीय,



केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी,
केन्द्रीय वस्तु, सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,
जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1. The Web Master/Additional Commissioner, CGST Commissionerate, Jaipur for uploading on the Zonal Website.
2. The Joint Commissioner/CPIO, CGST & CE (Jaipur Zone), Jaipur in reference to letter F. No. CCO(J.Z.)/RTI/157/PK/2018-19/2709 dated 22.03.2019.



केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी वंगानी
केन्द्रीय वस्तु, सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर।